

वादी-क वादी-वकील द्वारा निर्दिष्ट
 की पालना नहीं की जाती इससे
 प्रतिक्रिया होता है कि वादी वाद
 पत्र में वाजिबत तलबना पेश
 कला ही नहीं पाठ है अतः
 वादी का वाद आदेश 9 रिफ
 5 गाठरी में लाजि रिफ
 आदेश में पत्रावली फिलच
 शुभार होकर नम्बर के कर
 है वाद पूर्ण वाजिबत फल
 है शुभार

ध

उपसंग्रह अधिकारी
नियता (अन्तर) धर

